भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2720** जिसका उत्तर

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 (20 श्रावण, 1948 (शक)) को दिया जाना है

तटीय पोत परिवहन एवं क्रूज़ पर्यटन

2720 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा तटीय पोत परिवहन एवं क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत कार्गो प्रहस्तन तथा यात्री यातायात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके विस्तार के लिए सरकार की क्या भावी योजनाएँ हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): जी हाँ, सरकार तटीय पोत परिवहन और क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का विवरण **अनुबंध-1** पर उपलब्ध है।

(ग): कार्गो यातायात और क्रुज़ यात्री यातायात का विवरण निम्ननानुसार हैं:

क्र. सं.	**यातायात**		**2014-15**	**2025-26**	**% वृद्धि**
1.	कार्गो (मिलियन	तटीय	74	177	139

	मेट्रिक टन)	अंतर्देशीय जलमार्ग	29	218	652
2.	क्रूज़ यात्रियों की संख्या	समुद्र क्रुज़	1.08 लाख	4.62 लाख	328
		अंतर्देशीय जलमार्ग क्रुज़	-	10.5 करोड़	घातांक (Exponential) वृद्धि

(घ): केंद्रीय बजट 2026 में, 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटीय कार्गो संवर्धन योजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी।

अनुबंध-1

तटीय पोत परिवहन और क्रुज पर्यटन को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपाय:

1. तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना:

 i. तटीय कार्गो जलयानों के लिए पत्तन शुल्क (जलयान और कार्गो संबंधी शुल्क) पर 40% की छूट प्रदान की गई है।

 ii. जलयानों के टर्नअराउंड समय को कम करने और जलयानों के उपयोग में सुधार के लिए तटीय जलयानों के लिए प्राथमिकता बर्थिंग नीति अधिसूचित की गई है।

 iii. भारतीय ध्वजंकित जलयानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बंकर ईंधन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

 iv. पत्तनों पर तटीय कार्गो की तेजी से निकासी के लिए 26.06.2026 को ग्रीन चैनल निकासी शुरू की गई थी।

 v. तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया है जो 15.03.2026 से लागू हुआ है।

2. क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना:

 i. दिनांक 19.06.2025 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय पत्तनों पर क्रूज जलयानों के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)-3 जारी की गई थी।

 ii. विशाखापत्तनम (सितंबर 2023), मुंबई (सितंबर 2025) और चेन्नई (जून 2026) में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों को उन्नत और चालू किया गया है।

 iii. पुडुचेरी के साथ पूर्वी तट क्रूज सर्किट का विस्तार किया गया है।

 iv. हितधारकों के मध्य समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी नौ (09) क्रूज गंतव्यों और इसके अलावा गुजरात समुद्रीय बोर्ड में गंतव्य कार्य बलों का गठन किया गया है।

 v. क्रूज पोतों के लिए क्यूआर-आधारित प्रवासन निकासी प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें रास्ते में प्रवासन निकासी विकल्प हैं, जिससे प्रवासन निकासी का समय प्रति यात्री लगभग 30 सेकंड तक कम हो गया है।

vi. क्रूज यात्रियों की निकासी को तेज़ और निर्बाध निकासी को सुकर बनाने के लिए, क्रूज यात्रियों और सामान के सीमा शुल्क निकासी के लिए मर्चेंट ओवरटाइम (एमओटी) शुल्क को सी.बी.आई.सी. के दिनांक 15.06.2026 के परिपत्र के माध्यम से छूट दी है।

vii. त्वरित सीमा शुल्क निकासी को सुगम बनाने के लिए क्रूज पोतों के लिए डिजीटल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और स्व-घोषणा तंत्र आरंभ किया है।

viii. क्रूज जलयानों द्वारा आने वाले विदेशी पर्यटक समूहों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-ग्रुप यात्रा वीजा शुरू किया गया है।

xi. क्रूज पोतों को गारंटीकृत बर्थिंग प्रदान की गयी है, आउटिंग शुल्क हटा दिया गया है और रियायती समान टैरिफ प्रदान किया गया है; और

ix. विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज में छूट प्रदान की गई है।
